UPBG050006622022

न्यायालयः अपर सिविल जज (सी०डि०), बागपत

पीठासीन अधिकारी– (भगत सिंह) – उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02118

Execution/20/2022

MANU PANWAR Vs INDRAPAL

दिनाँकः– 16.01.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर पक्षकार उपस्थित।

प्रार्थी/डिक्रीदार मनु पंवार की ओर से **प्रार्थनापत्र कागज संख्या 39 क दिनांकित 02.01.2025** प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि– प्रार्थी/डिक्रीदार मनु पंवार ने नक्शे कुर्रेबंदी अमीन रिपोर्ट कागज संख्या 24 ग 2 दिनांकित 21.01.2020 में अक्षर ए,बी,सी,डी से दिखाये गये मकान का अक्षर ई,बी,जी,एफ से दर्शित भाग/अपना कुर्रा बजरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांकित 17.12.2024 रमेशचन्द पुत्र दरयाव सिंह निवासी ग्राम ककड़ीपुर तहसील बड़ौत, जिला बागपत को बेंच दिया है तथा उसका मालिकाना कब्जा उक्त रमेशचन्द को दे दिया है। इसलिये प्रार्थी/डिक्रीदार के द्वारा अपनी उक्त इजराय को आगे चलाया जाना आवश्यक नहीं रह गया है। उक्त परिस्थितियों में निवेदन है कि प्रार्थी/डिक्रीदार मनु पंवार की पूर्ण संतुष्टि में प्रार्थी /डिक्रीदार मनु पंवार की उक्त इजराय को तय कर दिया जाए तथा तदनुसार उक्त इजराय की पत्रावली को दाखिल दफ्तर कर दिया जाए।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन पर विदित है कि प्रस्तुत इजराय वाद डिक्रीदार मनु पंवार द्वारा मदयून इन्द्रपाल के विरुद्ध योजित की गयी थी। डिक्रीदार/वादी मनु पंवार द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त इजराय को आगे चलाना नहीं चाहता है, अतः डिक्रीदार की पूर्ण संतुष्टि के आधार पर उक्त इजराय वाद को निस्तारित कर दिया जाए।

प्रार्थी/डिक्रीदार मनु पंवार द्वारा समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर सशपथ बयान किया गया है कि– **"मैं उक्त इजराय का डिक्रीदार हूं। मैंने अपने विवादित कुर्रे का बैनामा दिनांक 17.12.2024 को रमेशचन्द पुत्र दरियाव सिंह निवासी ककड़ीपुर तहसील बड़ौत, जिला बागपत को कर दिया है तथा अपने कुर्रे की संपत्ति का मिलाकाना कब्जा उक्त रमेशचन्द को दे दिया है। इसलिये मेरे कुर्रे की संपत्ति में दिनांक 17.12.2024 से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा है। इसलिये मैं अपनी उक्त इजराय को आगे चलाना नहीं चाहता हूं। अतः मेरी उक्त इजराय को मेरी पूर्ण संतुष्टि में तय कर दिया जाए। बैनामा की फोटो प्रति दाखिल है।"**

अतः इजराय वाद डिक्रीदार द्वारा न चलाये जाने एवं डिक्रीदार की पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत इजराय वाद संख्या– 14/2022, मनु पंवार बनाम इन्द्रपाल, डिक्रीदार की पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(भगत सिंह)
अपर सिविल जज(सी०डि०)
बागपत

Digitally signed by BHAGET SINGH
Date: 2025.01.24 12:24:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court